न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1995–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–06–2014 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील व जिला बैतूल के प्रकरण कमांक 845/अ–6/2013–14.

.....

कृष्ण कुमार आत्मज श्री रामरतन राठौर,
निवासी मेघनाथ चौक टिकारी बैतूल
जिला बैतूल म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–गौरव सिंह आत्मज श्री राजेन्द्र सिंह किलेदार
निवासी भैंसदेही तहसील भैंसदेही जिला बैतूल
2–श्रीमती नीलू वर्मा पत्नि श्री अजय वर्मा
निवासी सिविल लाईन्स बैतूल
3–बंजारी माता इन्फ्रा बैतूल
अ–विनय कुमार आत्मज श्री रमेशकुमार
निवासी बैतूल बाजार बैतूल
ब–लाभमल आत्मज श्री बसंतीलाल जैन
निवासी ग्राम नलखेड़ा जिला शाजापुर
स–विनय आत्मज श्री गोकुल यादव
निवासी पटेल वार्ड बैतूल
द–नीतिश परिहार आत्मज श्री ब्रजलाल परिहार
निवासी टेगौर नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बैतूल
ई–उमाकांत आत्मज श्री वामन राव अड़लक
निवासी चन्द्रशेखर वार्ड बैतूल
4–श्रीमती विद्यावती पत्नि श्री रघुवर प्रसाद राठौर
निवासी मेघनाथ चौक टिकारी जिला बैतूल

..... अनावेदकगण

.....

श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक–आवेदक
श्री आर0के0लोखण्डे, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 10/9/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील व जिला बैतूल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–6–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक गौरव द्वारा तहसील न्यायालय में इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि मौजा टिकारी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 970/1 रकवा 0.225 हेक्टर भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय करने के कारण राजस्व अभिलेख में उसका नाम दर्ज किया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् इश्तहार आदि का प्रकाशन कर आपत्ति बुलाई गई । आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई की कि प्रकरण में पेशी बढाई जाये । तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक की आपत्ति दिनांक 20–6–14 को आदेश पारित कर खारिज की गई । तहसील न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 20–6–14 से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह बताया गया कि आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के न्यायालय के प्रकरण कमांक 133/अपील/10–11 में पारित आदेश दिनांक 17–4–2014 के विरूद्ध एक अन्य निगरानी राजस्व मण्डल में विचाराधीन है । उक्त निगरानी एवं उपरोक्त निगरानी प्रकरण में एक साथ कार्यवाही की जा रही है । उक्त निगरानी प्रकरण में अलग से लिखित बहस प्रस्तुत की गई है उक्त निगरानी मूल निगरानी है । आयुक्त के आदेश दिनांक 17–4–2014 के आधार पर तीन अलग–अलग रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के द्वारा अनावेदक कमांक 4 ने वादग्रस्त भूमि अनावेदक कमांक 1, 2 व 3 को विक्रय कर दी है । अनावेदक कमांक 1, 2 व 3 ने उक्त विक्रय पत्र के आधार पर तहसील न्यायालय के समक्ष नामान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था । उक्त

प्रकरण के संबंध में जानकारी होने पर आवेदक ने तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि आयुक्त के आदेश दिनांक 17–4–14 के विरूद्ध आवेदक की ओर से राजस्व मण्डल में निगरानी विचाराधीन है और आयुक्त के न्यायालय में अंतिम आदेश नहीं हुआ है ऐसी दशा में उक्त आधार पर अनावेदक कमांक 4 को भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हुये है और अनावेदक कमांक 4 को भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हुये हैं और अनावेदक कमांक 4 ने उक्त अधिकार का अनुचित लाभ लेते हुये भूमि के विकय पत्र का पंजीयन अनावेदक कमांक 1, 2 व 3 के पक्ष में कराया है ऐसी दशा में उक्त विकय पत्र के आधार पर अनावेदक कमांक 1, 2 व 3 का नामान्तरण स्वीकृत न किया जाये । तहसील न्यायालय ने आवेदक की आपत्ति इस आधार पर निरस्त कर दी कि राजस्व न्यायालय को पंजीकृत दस्तावेज की अधिकारिता नहीं है । प्रश्नाधीन भूमि को किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन पेश नहीं किया गया है । आवेदक द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण की अधिकारिता इस न्यायालय की है, आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति खारिज की गई । अंत में उल्लेख किया कि निगरानी स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश निरस्त करते हुये आवेदक की ओर से तहसील न्यायालय में प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार कर नामान्तरण प्रकरण निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यही बताया कि तहसील न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही विधिवत् है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है अतः तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक द्वारा पंजीकृत विकय पत्र से कय की गई भूमि का नामान्तरण चाहा गया है और पंजीकृत दस्तावेज की जॉच की अधिकारिता तहसील न्यायालय को नहीं है । आवेदक की आपत्ति खारिज करने में तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् कार्यवाही की गई है जिसे स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज की जाये ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में

व्यवहारवाद प्रचलित है इसलिये अनावेदक द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण आवेदन निरस्त किया जाये । इस संबंध में तहसीलदार द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक द्वारा सक्षम न्यायालय से कोई स्थगन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है और विक्रय पत्र की जॉच करने की अधिकारिता तहसीलदार को नहीं है । संयुक्त खाते की भूमि को एक सहखातेदार द्वारा बिना बटवारा कराये अपने हिस्से की भूमि का विक्रय करने का अधिकार है अतः विक्रय पत्र के आधार पर तहसीलदार द्वारा नामान्तरण की कार्यवाही प्रचलित रखने में व आवेदक की आपत्ति खारिज करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–6–14 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर